



कार्यालय , प्राचार्य शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर

पटवारी प्रशिक्षण के पास, सीपत रोड बिलासपुर(छत्तीसगढ़) 495006, महाविद्यालय कोड 2804

e-mail id: gmsngc1989@gmail.com, www.gmsngcbsp.co.in

क्रमांक / 663 / स्था. / अ.व्या / 2025

बिलासपुर दिनांक - 24 / 10 / 2025

प्रति,

डॉ. आरती राठौर

विषय - अर्थशास्त्र

पिता श्री गणेश प्रसाद राठौर

पता लालपुर, पेण्ड्रा रोड जिला-गौरेला-पेण्ड्रा -मरवाही (छ.ग.) मो. नं. 7999102792, 9165688422

विषय: अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रण पत्र।

- संदर्भ:
1. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/07/2025
 2. कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/07/2025
 3. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1655/38-1 नवा रायपुर दिनांक 16/10/2025
 4. कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB-101/447/2025-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर दिनांक 17/10/2025

—00—

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र क्रमांक 01 व 02 एवं 03 के परिपालन में आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में महाविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 60 मिनट के एक व्याख्यान हेतु रुपये 500/- का मानदेय देय होगा। 04 कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय 2000 रु. (रु. 50000-00 प्रतिमाह अधिकतम) प्रदान किया जायेगा।
2. शिक्षा सत्र के दौरान किसी विषय के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना की स्थिति में उक्त विषय के अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
3. आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर कारण बताओं सूचना जारी किया जायेगा एवं उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा इनकी व्यवस्था समाप्त करने की सूचना जारी की जायेगी।
4. जिन विषयों के अतिथि का मूल्यांकन निरंतर 03 बार संतोषजनक नहीं पाया जायेगा, उन्हें आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था की जायेगी।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो किसी भी समय आपकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
6. अतिथि व्याख्याता बिना सूचना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
7. अतिथि व्याख्याता के लिए प्रतिदिन 07 घंटा कार्य किया जाना अनिवार्य है।
8. महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु शैक्षणिक कालखंडों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के समुचित एवं चहुमुखी विकास की दृष्टि से अन्य गतिविधियों के संचालन एवं कार्यक्रमों का आयोजन संबंधी कार्यों में भी सहयोग लिया जायेगा।

निरंतर —

9. अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
10. एक साथ दो संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं किया जायेगा एवं सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के दिनांक से 05 दिवस के भीतर अध्यापन कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे। अन्यथा आपका आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। आप उपस्थित दिवस को स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों एवं शपथ पत्र सहित महाविद्यालय में उपस्थिति दें।



संयोजक

अतिथि व्याख्याता चयन समिति



(डॉ. शशिकला सिन्हा)

PRINCIPAL

शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / /स्था./अ.व्या/2025
प्रतिलिपि -

बिलासपुर दिनांक / /2025

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
3. स्था./लेखा शाखा शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)।



संयोजक

अतिथि व्याख्याता चयन समिति



(डॉ. शशिकला सिन्हा)

प्राचार्य

शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)